कर्मचारी राज्य बीमा निगम
Employees' State Insurance Corporation

पंचदीप भवन, सीआईजी रोड, नई दिल्ली-110002
Panchdeep Bhawan, CIG Road, New Delhi-110002

सं. ई-13/12/15/2019-जनसंपर्क दिनांक : 08.12.2020

<u>प्रेस प्रकाशनी</u>

<u>कामगारों को बेहतर सेवाएं प्रदान करने के लिए क.रा.बी.निगम की प्रमुख नीतिगत पहलें</u>

श्री संतोष कुमार गंगवार, राज्य मंत्री, श्रम और रोजगार (स्वतंत्र प्रभार) की अध्यक्षता में दिनांक 07.12.2020 को आयोजित कर्मचारी राज्य बीमा निगम की 183वीं बैठक के दौरान कामगारों को चिकित्सा सेवाओं की आपूर्ति एवं अन्य हितलाभों में सुधार के लिए कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं।

1. क.रा.बी.निगम द्वारा सीधे नए/अनुमोदित क.रा.बी.निगम अस्पतालों का संचालन :

राज्य सरकारों द्वारा संचालित अस्पतालों और औषधालयों के माध्यम से क.रा.बी.योजना के तहत बीमाकृत कामगारों और उनके आश्रितजनों को प्रमुख रूप से चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती है। वर्तमान में, देशभर में लगभग 1520 क.रा.बी.औषधालय और 159 अस्पताल है जिनमें से 45 औषधालयों और 49 अस्पतालों को सीधे क.रा.बी.निगम द्वारा संचालित किया जाता है जबकि शेष औषधालयों और अस्पतालों को संबंधित राज्य सरकारों द्वारा संचालित किया जाता है। खराब उपकरण और डॉक्टरों की अनुपलब्धता के कारण राज्य सरकारों द्वारा संचालित क.रा.बी.अस्पतालों में सेवाओं में कमी के बारे में कई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं।

कामगारों और कर्मचारियों दोनों से प्राप्त मांग के दृष्टिगत और लाभार्थियों को बेहतर चिकित्सा सेवाएं प्रदान करने के उद्देश्य से, क.रा.बी.निगम ने दिनांक 07.01.2020 को आयोजित बैठक में निर्णय लिया है कि सभी नवनिर्मित अस्पतालों और जिन्हें भविष्य में अनुमोदित किया जाएगा, जब तक कि राज्य सरकार अस्पताल संचालित करने हेतु जोर न दें, को सीधे तौर पर स्वयं संचालित करेगा।

2. क.रा.बी.निगम लाभार्थियों द्वारा उन क्षेत्रों में, जहां क.रा.बी.निगम अवसंरचना उपलब्ध नहीं है, वहाँ क.रा.बी.निगम पैनलबद्ध निजी अस्पतालों या आयुष्मान भारत के अंतर्गत पैनलबद्ध निजी अस्पतालों से चिकित्सा देखरेख प्राप्त करना :

हाल ही के वर्षों में क.रा.बी.निगम व्याप्ति में बढ़ोतरी तथा कुछेक क्षेत्रों में क.रा.बी.निगम की स्वयं की चिकित्सा अवसंरचना न होने के दृष्टिगत, क.रा.बी.निगम ने अब यह निर्णय किया है कि वे क्षेत्र, जहां 10 कि.मी. की परिधि में क.रा.बी. अवसंरचना नहीं है, वहाँ लाभार्थी, क.रा.बी. औषधालय अथवा अस्पताल से रेफरल के बिना ही, क.रा.बी.निगम पैनलबद्ध अस्पताल

या आयुष्मान भारत पैनलबद्ध अस्पताल से, सीधे ही बाह्य रोगी (ओपीडी) विभाग सेवाओं के लिए चिकित्सा परामर्श प्राप्त कर सकते हैं।

3. क.रा.बी.निगम द्वारा प्रथम चरण में दिल्ली/ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चयनित क.रा.बी.निगम अस्पतालों में अपनी अतिविशिष्टता सेवाओं को सुदृढ़ बनाना :

दिल्ली/राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में चयनित क.रा.बी.निगम अस्पतालों में नएफरोलॉजी, यूरोलॉजी तथा ऑनकोलॉजी सहित कार्डियोलॉजी में अतिविशिष्टता सेवाएं सुदृढ़ की जाएंगी तथा यह देश-भर के अन्य क.रा.बी.निगम अस्पतालों में चरणबद्ध तरीके से विस्तारित की जाएंगी।

4. क.रा.बी.निगम द्वारा अस्पताल प्रबंधकों को नियुक्त करना :

क.रा.बी. निगम, देश-भर में क.रा.बी.निगम अस्पतालों में रखरखाव, गृह प्रबंधन(हाउसकीपिंग), रोगी सहायता, रोगी सुरक्षा तथा अन्य अनुषंगी गतिविधियों के लिए अस्पताल प्रबंधन अथवा अस्पताल प्रशासन या स्वास्थ्य देखरेख प्रशासन में विशेषज्ञता वाले अस्पताल प्रबंधकों को नियुक्त करेगा।

5. क.रा.बी.निगम द्वारा परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की सेवाएं लेना :

क.रा.बी. निगम, परियोजना के परिकल्पना स्तर से प्रवर्तन में ले जाने के स्तर तक, क.रा.बी.निगम अस्पताल तथा औषधालय निर्माण परियोजनाओं के अनुरक्षण तथा निष्पादन सुविधा हेतु परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की सेवाएं भी लेगा।

6. अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अगले छह माह अर्थात 30 जून, 2021 तक के लिए शिथिलीकृत शर्तों तथा वर्धित हितलाभ का विस्तारण:

क.रा.बी.निगम ने अगली छह माह की अवधि अर्थात 30 जून, 2021 तक के लिए कोविड-19 के चलते लॉकडाउन के कारण बेरोजगार हुए बीमाकृत कामगारों को अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना के अंतर्गत अधिकतम 90 दिनों तक के लिए औसत प्रतिदिन अर्जन के 50% के वर्धित हितलाभ तथा शिथिलीकृत शर्तों को बढ़ाने का निर्णय किया है। पात्र कामगार मोबाइल संख्या, आधार तथा बैंक ब्योरे के साथ क.रा.बी.निगम पोर्टल (www.esic.in) पर अपना दावा फ़ाइल कर सकते हैं।

*****